



The Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009

Act 4 of 2010

Keyword(s):

Allotted Land or Settled Land, Land, Raiyat

Amendments appended: 15 of 2012, 10 of 2013, 18 of 2015

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 पौष 1931 (श0)
(सं0 पटना 32) पटना, शुक्रवार, 8 जनवरी 2010

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

8 जनवरी 2010

सं0 एल0जी0-1-20/2009/लेज: 08—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 5 जनवरी, 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सरकार के सचिव।

(बिहार अधिनियम 4, 2010)

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009

प्रस्तावना:—चूँकि, बिहार राज्य में स्वत्वाधिकार अभिलेखों, चौहद्दी, राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों, रैयती भूमि के गैर-कानूनी दखल तथा सार्वजनिक भूमि के आवंटियों की जबरन बेदखली से समस्याएँ उद्भूत होती हैं और इससे सही आवंटी/बंदोबस्त-धारियों, रैयतों या दखलकारों को अनावश्यक परेशानी होती है ;

चूँकि, रैयतों या आवंटियों की विभिन्न श्रेणियों के पक्ष में आवंटित लोक भूमि से सम्बन्धित विवाद अनावश्यक रूप से व्यवहार न्यायालयों तथा माननीय उच्च न्यायालय का अधिकांश कार्य क्षेत्र आच्छादित कर रहे हैं और जिनका अन्यथा निराकरण राजस्व प्राधिकारियों, जो क्षेत्रीय कार्यालयों में लगातार पदस्थापन तथा राजस्व प्रशासन में अपनी विशेषज्ञता की पृष्ठभूमि में, के द्वारा किया जाना चाहिए था।

चूँकि, वृहत्तर सार्वजनिक हित में यह आवश्यक समझा जाता है कि ऐसे विवादों, जो तत्काल एवं प्रभावशाली ढंग से हल न होने की स्थिति में बड़े उथल-पुथल को जन्म देते हैं, के निराकरण के लिए प्रभावशाली तथा द्रुतगामी संयंत्र का प्रावधान किया जाए ;

और, चूँकि, विवादों की प्रकृति से सम्बन्धित तथ्यों के विश्लेषण में ऐसा पाया गया है कि वे ज्यादातर स्वत्वाधिकार अभिलेखों से सम्बद्ध मामलों, जमाबन्दी के विभाजन, आवंटियों/रैयतों की जबरन बेदखली, सीमा-विवादों इत्यादि से सम्बन्धित हैं तथा इस प्रसंग में निम्नांकित अधिनियमों का प्रशासन समाविष्ट है :

- (1) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950,
- (2) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885,
- (3) बिहार प्रश्रय-प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947,
- (4) बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954,
- (5) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961,
- (6) बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956,

और, चूँकि, उपर्युक्त अधिनियमों के तहत विवादों के निराकरण के लिए विभिन्न मंच तथा प्रक्रियाएँ उपबन्धित की गयी हैं तथा यह आवश्यक महसूस किया जा रहा है कि एक एकरूप तथा सामान्य मंच, प्रक्रिया एवं संयंत्र का प्रावधान किया जाए जो विवादों के प्रभावशाली एवं द्रुत निराकरण के लक्ष्य को प्राप्त करेगा ;

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नरूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 कहा जा सकेगा।

- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह अधिनियम सरकार के द्वारा बिहार राजपत्र में यथा अधिसूचित तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएँ।—इस अधिनियम में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो: (क) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है उप-समाहर्ता, भूमि सुधार या अन्य कोई पदाधिकारी, जिसे अनुमंडल में उप-समाहर्ता, भूमि सुधार के कृत्यों तथा कर्तव्यों के निर्वहन का दायित्व दिया गया हो, सक्षम प्राधिकार होगा।

(ख) "समाहर्ता" से अभिप्रेत है सम्बन्धित जिला के समाहर्ता।

(ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है सम्बन्धित प्रमंडल के आयुक्त।

(घ) "भूमि" से अभिप्रेत है सरकारी भूमि, रैयती भूमि, उस पर निर्मित संरचना यदि कोई हो।

(ङ) "आवंटित भूमि" या "बन्दोबस्त भूमि" से अभिप्रेत ऐसी भूमि से है जो आवंटित या बन्दोबस्त की जाती है या जिसमें इस अधिनियम की अनुसूची-1 में वर्णित अधिनियमों के तहत रैयती अधिकार समाहित हो गए हों।

(च) "आवंटी या बंदोबस्ती-धारी" से अभिप्रेत ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा भूमि की बन्दोबस्ती की गयी है अथवा ऐसा व्यक्ति जिसने इस अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल किसी अधिनियम में भूमि पर रैयती अधिकार प्राप्त कर लिया है।

(छ) "रैयत" से अभिप्रेत है बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधान के तहत परिभाषित रैयत।

(ज) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार।

(झ) इस अधिनियम में अपरिभाषित "शब्द या अभिव्यक्तियों" का वही अर्थ होगा जो इस अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल सम्बन्धित अधिनियमों में इन्हें दिया जाएगा।

3. इस अधिनियम के विहित प्रक्रिया का अध्यारोही-प्रभाव होना।—निम्नलिखित अधिनियमों, यथा—

- (i) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950,
- (ii) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885,
- (iii) बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947,
- (iv) बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954,
- (v) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961,
- (vi) बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956,

में किसी बात के होते हुये भी इस अधिनियम में इसके अनन्तर विहित प्रक्रिया उपर्युक्त अधिनियमों के तहत उठनेवाले किसी विवाद के निराकरण में लागू होगी, चूँकि, इस अधिनियम में ऐसे विवादों को समाहित किया गया है और उनके समाधान के लिए मंच, प्रक्रिया तथा संयंत्र का प्रावधान किया है।

4. विवाद निराकरण हेतु क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार।—(1) सक्षम प्राधिकार को किसी आवेदन या शिकायत पर अथवा किसी विहित प्राधिकार या पदाधिकारी द्वारा संदर्भित आवेदन पर अधोलिखित प्रकार के विवादों से उद्भूत किसी मुद्दे की सुनवाई तथा न्याय निर्णय करने का क्षेत्राधिकार तथा प्राधिकार होगा :—

(क) इस अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल किसी अधिनियम के तहत किसी के साथ सक्षम प्राधिकार के द्वारा बन्दोबस्ती के दस्तावेज या पर्चा निर्गत के द्वारा बन्दोबस्त या आवंटित किसी भूमि या उसके अंश से किसी बन्दोबस्ती धारी या आवंटी की अनधिकृत तथा गैर-कानूनी बेदखली ;

(ख) अनधिकृत तथा गैर-कानूनी बेदखली के न्याय निर्णय के उपरान्त विधितः सुयोग्य बन्दोबस्ती- धारी या आवंटी के पक्ष में बंदोबस्त/आवंटित भूमि का दखल पुनः स्थापित करना ;

(ग) किसी विधितः सुयोग्य बन्दोबस्तीधारी/आवंटी की आशंकित बेदखली ;

(घ) रैयती भूमि से सम्बन्धित उपर्युक्त (क), (ख) तथा (ग) में उल्लिखित मामलों में कोई;

(ङ) भू-खण्ड का विभाजन ;

(च) मानचित्र/सर्वे मानचित्र सहित स्वत्वाधिकार अभिलेख में की गयी प्रविष्टि में संशोधन;

(छ) किसी व्यक्ति के अधिकारों का प्रख्यापन;

(ज) सीमा-विवाद;

(झ) अनधिकृत संरचना निर्माण; तथा

(ञ) सक्षम प्राधिकार में न्यायिक विचाराधीनता के दौरान अन्तरण।

(2) सक्षम प्राधिकार को अनुसूची-1 में शामिल किसी अधिनियम के तहत अन्तिम रूप से समाप्त एवं न्यायनिर्णीत कार्यवाही के पुनर्विलोकन या फिर से प्रारम्भ करने का क्षेत्राधिकार नहीं होगा। सक्षम प्राधिकार, अपने सामने लाए गए विवादों के निराकरण के लिए इस अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल अधिनियमों में अन्तिम आदेश पारित करने में सक्षम प्राधिकारों द्वारा पारित आदेश के आधार पर अपने अधिकारों का प्रयोग करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकार को आवंटी/बन्दोबस्तधारी या किसी रैयत के किन्हीं नए अधिकारों, जो अबतक निर्धारित नहीं हुए हैं तथा जिन्हें अनुसूची-1 में शामिल किसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित होना आवश्यक होता है, का न्याय निर्णय करने का अधिकार नहीं होगा।

परन्तु जहाँ आवंटी, बन्दोबस्तीधारी या रैयत के अधिकार अनुसूची-1 में शामिल अधिनियमों में किसी में पूर्व से निर्धारित हैं, सक्षम प्राधिकार को उप-धारा (1) में उल्लिखित मामलों से सम्बन्धित वादों को सुनने का क्षेत्राधिकार होगा।

(4) यथा उपर्युक्त उप-धारा (2) तथा (3) में किसी बात के होते हुए भी यदि अनुसूची-1 में शामिल अधिनियमों में से किसी में आवंटी/बन्दोबस्ती-धारी या रैयत के अधिकारों के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा दावा किये गये अधिकार को अब भी निर्धारित किया जाना है, सक्षम प्राधिकार ऐसे अधिकार को अन्तिम रूप से निर्धारित कर देगा।

(5) जहाँ कहीं भी सक्षम प्राधिकार को यह प्रतीत होता है कि उसके समक्ष दायर वाद में स्वत्त्व न्याय-निर्णीत करने का संश्लिष्ट प्रश्न निहित है, वह कार्यवाही बन्द कर देगा तथा पक्षकार उचित व्यवहार न्यायालय के समक्ष उपचारों की याचना के लिए स्वतन्त्र होंगे।

5. सक्षम प्राधिकार में व्यवहार न्यायालय की शक्तियां होना।—निम्नांकित मामलों में जांच कराने में सक्षम प्राधिकार को वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का V) के तहत किसी न्यायालय में विहित हैं :—

(क) शपथ-पत्रों के द्वारा साक्ष्य की प्रविष्टि;

(ख) किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए सम्मन निर्गत करना और शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ग) दस्तावेजों का उपस्थापन बाध्यकारी बनाना;

(घ) व्यय का आदेश पारित करना ;

(ङ) किसी प्रतिवेदन की मांग करना और स्थानीय जांच का आदेश देना; तथा

(च) स्थानीय जांच के लिए कमीशन निर्गत करना या साक्षियों के परीक्षण का आदेश देना।

6. कतिपय मामलों में राज्य का अनिवार्य पक्षकार होना।—तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी प्रावधान में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, सिविल प्रकृति के सभी मामलों में, जिसमें कोई भूमि या उसका अंश सम्बन्धित हो, और जिसमें वाद का एक पक्षकार अधिनियम की धारा-2 के तहत एक आवंटी या बन्दोबस्ती-धारी हो, राज्य एक अनिवार्य पक्ष होगा।

7. कार्यवाही का संक्षिप्त निपटारा।—इस अधिनियम के तहत सारी कार्यवाहियां अधिनियम के प्रावधानों तथा अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के अनुरूप सरसरी तौर पर निष्पादित की जाएंगी।

8. अधिनियम के अधीन की गयी कार्रवाई का संरक्षण।—(1) इस अधिनियम या इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसरण में सदृच्छा पूर्वक किए गए या किए जाने के लिए अभीप्सित किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही संधारित नहीं की जाएगी।

(2) अधिनियम के किसी प्रावधान के कारण हुए नुकसान, या सम्भावित नुकसान या हो चुकी या सम्भावित किसी क्षति अथवा इस अधिनियम या इसके तहत निर्मित नियमों के अनुसरण में सदृच्छापूरवक किए गए या किए जाने के लिए अभीप्सित किसी कार्य के लिए राज्य के विरुद्ध कोई वाद या कानूनी कार्यवाही संधारित नहीं की जाएगी।

9. विवादों का त्वरित निराकरण।— (1) सक्षम प्राधिकार विवादों के त्वरित निराकरण के लिए हर संभव कदम उठाएगा और अपने समक्ष वाद दायर होने की तिथि से अधिकतम तीन माहों के अन्दर उसका अन्तिम न्याय-निर्णय सुनिश्चित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकार पक्षकारों को बिना समुचित कारण बताए स्थगन की अनुमति नहीं देगा।

(3) बिना समुचित कारण के विनिर्दिष्ट अवधि में निष्पादन की विफलता में उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी।

10. इस अधिनियम के अधीन दायर वादों का संज्ञान।—(1) अनुसूची-2 में उल्लिखित न्यायालयों के अतिरिक्त अन्य कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दायर किसी मामले का संज्ञान नहीं लेगा।

(2) अनुसूची-2 में उल्लिखित न्यायालयों से भिन्न किसी न्यायालय में विचाराधीन कोई कार्यवाही तथा जिसमें उठाए गए मुद्दे इस अधिनियम के अधीन किसी वाद के मुद्दों के समान हों, उपशमित हो जाएगी।

11. दण्डाधिकारी को सन्दर्भन।— सक्षम प्राधिकार के समक्ष किसी कार्यवाही के दौरान यदि वह सन्तुष्ट है कि किसी पक्षकार ने कोई आपराधिक कृत्य किया है या शान्ति भंग होने की संभावना हो, वह उसे दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत निष्पादनार्थ सक्षम दण्डाधिकारी के न्यायालय को सन्दर्भित कर सकेगा।

12. सक्षम प्राधिकार के ऊपर अधीक्षण, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करने के लिए समाहर्ता की शक्ति।—

(1) सक्षम प्राधिकार प्रति तीन माह पर समाहर्ता को, नियम में विहित आवधिक प्रतिवेदन समर्पित करेगा, जिसमें उसके द्वारा निराकरण किए गए विवादों की सूचनाएँ रहेंगी।

(2) समाहर्ता किसी सक्षम प्राधिकार से उसके समक्ष दायर वादों के अन्तिम न्याय निर्णय के सम्बन्ध में समय-समय पर प्रतिवेदन की मांग कर सकेगा।

(3) समाहर्ता सक्षम प्राधिकार के सम्बन्धित क्रियाकलापों की समीक्षा समय-समय पर करने के लिए स्वतन्त्र होगा तथा यदि समीक्षा से समाहर्ता सन्तुष्ट है कि वादों का बिना पर्याप्त कारण के त्वरित निष्पादन नहीं हो रहा है, तो वह आवश्यक कार्यार्थ तत्काल मामले की सूचना सरकार को देगा।

13. विवाद निराकरण की प्रक्रिया।—(1) कोई व्यथित व्यक्ति सक्षम प्राधिकार, जिसके क्षेत्राधिकार में विवादित भूमि या संरचना अवस्थित है, के समक्ष आवेदन या शिकायत दर्ज कर सकेगा।

(2) आवेदन या शिकायत प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकार सम्बन्धित पक्षकारों को, नोटिस प्राप्ति की तिथि से उनका उत्तर या दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो, दायर करने के लिए एक पक्ष का समय देते हुए, नोटिस निर्गत करेगा।

(3) प्रतिवादी द्वारा उत्तर दायर होने के बाद, सक्षम प्राधिकार आवेदक या शिकायतकर्ता को, उसका प्रत्युत्तर, दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई हो तथा साक्षियों, यदि कोई हों, जिनका वह परीक्षण करना चाहता हो, की सूची दायर करने के लिए एक सप्ताह का समय देगा।

(4) अभिवचन की समाप्ति होने के उपरान्त, सक्षम प्राधिकार पक्षकारों की सुनवाई करेगा और यदि कोई अतिरिक्त साक्ष्य या स्थानीय जांच आवश्यक न हो, तो पक्षकारों की अभिवचनों के आधार पर वाद का निष्पादन करेगा।

(5) यदि स्थानीय जांच की आवश्यकता हो, सक्षम प्राधिकार स्वयं जांच कर सकेगा अथवा किसी अन्य लोक सेवक या अधिवक्ता को स्थानीय जांच संचालित करने और प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। सक्षम प्राधिकार स्थानीय जांच के लिए कमीशन भी निर्गत कर सकेगा।

(6) यदि सक्षम प्राधिकार साक्षियों के परीक्षण को आवश्यक समझता है तो वह विवाद के पक्षकारों को आवेदन या शिकायत के पक्ष में तथा उसके खंडन में, साक्षियों को प्रस्तुत करने का अवसर उपलब्ध कराएगा। सक्षम प्राधिकार सुनिश्चित करेगा कि विवाद के पक्षकारों के द्वारा साक्षी बिना किसी अनुचित विलम्ब के प्रस्तुत किए जाएं तथा वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि साक्षियों का परीक्षण दिन प्रतिदिन के आधार पर किया जाए।

(7) सक्षम प्राधिकार सुनवाई के समापन, स्थानीय जांच, यदि कोई हो, के अवलोकन तथा साक्षियों, यदि कोई हों, के परीक्षण के बाद अन्तिम रूप से पक्षकारों को सुनेगा तथा विधि के अनुरूप उचित आदेश पारित करेगा।

(8) सक्षम प्राधिकार, जहां वह वादों का संज्ञान किसी विहित प्राधिकार या पदाधिकारी द्वारा संदर्भन करने पर लेता है, वहां भी उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुसरण करेगा।

(9) सक्षम प्राधिकार आशंकित, अनधिकृत तथा गैर-कानूनी बेदखली अथवा विवादी भूमि पर निर्मित संरचना के अनधिकृत तथा गैर कानूनी तोड़े जाने की स्थिति में, अन्तरिम निषेधाज्ञा पारित कर सकेगा।

(10) सक्षम प्राधिकार तर्कपूर्ण आदेश पारित कर वादों का निष्पादन करेगा।

(11) विस्तृत विवाद निराकरण प्रक्रिया सरकार के द्वारा उपयुक्त नियम निर्मित करके विहित की जाएगी।

14. आयुक्त के समक्ष अपील।—(1) सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई पक्षकार आदेश की तिथि से तीस दिनों की अवधि में, आयुक्त, जिसके क्षेत्राधिकार में आदेश पारित हुआ हो, के समक्ष अपील दायर कर सकेगा;

परन्तु आयुक्त, यदि वह सन्तुष्ट हो कि अपीलार्थी द्वारा तीस दिनों के अन्दर अपील दायर न कर पाने का समुचित आधार है तो, तीस दिनों की अवधि से ऊपर, पुनः तीस दिनों तक उसे विस्तारित करके अपील को प्राप्त तथा निष्पादित कर सकेगा।

(2) अपील प्राप्त होने पर, आयुक्त विवादी पक्षों को उपस्थिति तथा अपील का उत्तर, यदि कोई हो, समर्पित करने के लिए 15 दिनों का समय देते हुए नोटिस निर्गत करेगा।

(3) तदुपरान्त आयुक्त, अपील सुनने की कार्रवाई करेगा तथा जैसा वह विधि के अनुरूप समझे, सक्षम प्राधिकार के आदेश को स्वीकृत, संशोधित, अस्वीकृत या सम्पुष्ट करने का आदेश, पारित करेगा।

(4) आयुक्त के द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा तथा किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष कोई और अपील या रिवीजन नहीं लाया जा सकेगा।

15. सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन।—अपील में पारित किसी आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन, सक्षम प्राधिकार अपने द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन कराएगा;

परन्तु यदि विहित अवधि के अन्तर्गत अपील दायर नहीं हुई हो तो वह कथित आदेश को या तो स्वयं क्रियान्वित करने की कार्रवाई करेगा, या किसी अन्य पदाधिकारी अथवा कर्मचारी को उसे क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत करेगा।

16. विवादित भूमि पर खड़ी फसलों की कुर्की।—(1) सक्षम प्राधिकार, यदि वह सन्तुष्ट हो, कि विवादित भूमि पर खड़ी फसल को न्याय के हित में जब्त किया जाना आवश्यक है, तो वह समुचित आदेश पारित करेगा और विवादित भूमि पर खड़ी फसल को जब्त कर लेगा।

(2) सक्षम प्राधिकार अपने समक्ष कार्यवाही की लम्बितावस्था में खड़ी फसल के विक्रय का आदेश दे सकेगा तथा विक्रय से प्राप्त राशि वाद निष्पादन पर्यन्त सरकारी खाते में रखी जाएगी और वाद में, अपील में पारित आदेश, यदि कोई हो, के अध्यक्षीन उसके द्वारा पारित आदेश के अनुरूप पक्षकारों को विक्रय से प्राप्त राशि परिदत्त कर दी जाएगी।

17. नियम बनाने की सरकार की शक्ति।—(1) सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए नियम का प्रावधान कर सकेगी :—

(i) कार्यवाही के सरसरी निष्पादन की रीति;

(ii) सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रतिवेदन तथा रिटर्न समर्पित किए जाने की रीति;

(iii) सक्षम प्राधिकार के द्वारा आवेदनों की सुनवाई करने की रीति;

(iv) किसी धनराशि के सरकारी लेखा में जमा किए जाने की रीति;

(v) स्थानीय जांच के लिए नियुक्त कमीशन की शक्तियां;

(vi) अभिलेखों एवं पंजियों के संधारण एवं नोटिसों का प्रदर्शन;

(vii) दायर आवेदन या शिकायत दर्ज करने की रीति;

(viii) कोई अन्य मामला जिसे विहित किया जाना आवश्यक हो या जिसे विहित किया जा सकता हो।

अनुसूची-1

- 1 बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950
- 2 बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885
- 3 बिहार प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति वासगीत काश्तकारी अधिनियम, 1947
- 4 बिहार भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954
- 5 बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961
- 6 बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम, 1956

अनुसूची-2

क्रमांक	न्यायिक क्षेत्राधिकार का मूल न्यायालय	अपीलीय न्यायालय
1	2	3
1	उप समाहर्ता भूमि सुधार	आयुक्त

8 जनवरी 2010

सं० एल०जी०-1-20/2009/09 लेज:।-बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 5 जनवरी 2010 को अनुमत बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समक्षा जायेगा:-

[Bihar Act 4, 2010]

The Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009

Preamble:- Whereas, in the State of Bihar, disputes relating to record of rights, boundaries, entries in revenue records, unlawful occupation of raiyati land and forcible dispossession of allottees and settlees of public land, generate problems and cause unnecessary harassment to bonafide allottees/settlees, raiyats or occupants;

WHEREAS, such disputes with respect to raiyati land or public land allotted in favour of different classes of allottees are unnecessarily occupying major space of Civil Courts and Hon'ble High Court and which should otherwise have been resolved by the Revenue Authorities, who may be better equipped to deal with such disputes having regard to their continued presence in the field offices and their expertise in Revenue Administration,

WHEREAS, in larger public interest it is deemed necessary to provide for effective and speedy mechanism to resolve such disputes which give rise to major turbulence if not addressed immediately and effectively;

AND, WHEREAS, it has been found in analysis of data relating to nature of disputes that they mostly appertain to matters connected with the record of rights, partition of jamabandi, forcible dispossession of allottees / raiyats, boundary disputes etc. and in this context, the administration of the following Acts is involved:

- (1) The Bihar Land Reforms Act, 1950,
- (2) The Bihar Tenancy Act, 1885,
- (3) The Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947,
- (4) The Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954,
- (5) The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961,
- (6) The Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956,

AND,Whereas, different forums and procedures have been provided for the resolution of disputes under the above referred Acts and it is considered expedient to provide a uniform and common forum, procedure and mechanism which would achieve the objective of effective, efficacious and speedy resolution of disputes.

Be it enacted by the Legislature of the State of the Bihar in the Sixtieth year of the Republic of India as follows:-

1. *Short Title, Extent and Commencement.-* (1) This Act may be called The Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from such date as notified by the Government in the Bihar Gazette.

2. *Definitions.*- In this Act, unless the context otherwise requires:

- (a) "Competent Authority" shall be Deputy Collector Land Reforms or any officer assigned to discharge the functions and duties of Deputy Collector Land Reforms in the Sub-division.
- (b) "Collector" connotes the Collector of the concerning district.
- (c) "Commissioner" connotes the Commissioner of the concerning Division.
- (d) "Land" connotes Government land, raiyati land, with structure, if any.
- (e) "Allotted Land or Settled Land" connotes the land which is allotted or settled or on which raiyati rights have accrued under any of the Acts mentioned in Schedule-1 to this Act.
- (f) "Allottee or Settlee" connotes the person with whom land has been settled by the competent authority or the person who has acquired raiyati rights over the land, under any of the Acts contained in Schedule-1 to this Act.
- (g) "Raiyat" connotes a raiyat as defined under the provision of the Bihar Tenancy Act, 1885.
- (h) "Government" means Government of Bihar.
- (i) "Words or expressions" not defined in this Act shall have the same meaning as assigned in the respective Acts contained in Schedule-1 to this Act.

3. *Overriding effect of procedure prescribed under this Act.*- Notwithstanding anything contained in the following Acts, namely,

- (i) The Bihar Land Reforms Act, 1950
- (ii) The Bihar Tenancy Act, 1885
- (iii) The Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947
- (iv) The Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954
- (v) The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961
- (vi) The Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956

the procedure prescribed hereinafter, in this Act, shall be applicable for resolution of any dispute arising out of or under any of the aforesaid Acts to the extent this Act has covered such disputes and has provided forum, procedure and mechanism for their resolution.

4. *Jurisdiction and authority to resolve disputes.*-(1) The competent authority shall have jurisdiction and authority to hear and adjudicate, on an application or complaint or on any application referred to by a prescribed authority or officer, any issue arising out of following types of disputes:-

- (a) Unauthorised and unlawful dispossession of any settlee or allottee from any land or part thereof, settled with or allotted to him under any Act contained in Schedule-1 to this Act by issuance of any settlement document/parcha by a competent authority;
- (b) Restoration of possession of settled / allotted land in favour of legally entitled settlee/ allottee or his successors/heirs, upon adjudication of unauthorized and unlawful dispossession;
- (c) Threatened dispossession of a legally entitled settlee/ allottee;

- (d) Any of the matters enumerated in (a), (b) and (c) above appertaining to raiyati land.
- (e) Partition of land holding;
- (f) Correction of entry made in the record of rights including map/survey map.
- (g) Declaration of the right of a person;
- (h) Boundary disputes;
- (i) Construction of unauthorized structure; and
- (j) *Lis pendens* transfer .

(2) The competent authority shall not have jurisdiction to review or reopen any finally concluded and adjudicated proceeding under any of the Acts contained in Schedule-1. The competent authority shall exercise his authority for resolving the dispute brought before him on the basis of any final order passed by any of the authorities empowered to do so in the Acts contained in Schedule-1 of this Act.

(3) The competent authority shall not have jurisdiction to adjudicate any fresh rights of allottee / settlee or a raiyat which is not yet determined and is required to be determined in accordance with provisions contained in any of the Acts contained in Schedule-1:

Provided that where rights of allottee / settlee or raiyat are already determined under any of the Acts contained in Schedule-1, the competent authority shall have jurisdiction to entertain cases appertaining to matters enumerated in sub-section (1).

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) and (3) hereinabove, if no provision is made in any of the Acts contained in Schedule-1 for determination of rights of allottee / settlee or raiyat and claimed right is yet to be determined, it shall be open to the competent authority to finally determine such right.

(5) The competent authority, wherever it appears to him that the case instituted before him involves complex question of adjudication of title, he shall close the proceeding and leave it open to parties to seek remedies before the competent Civil Court.

5. *Competent authority to have powers of Civil Court.*- The competent authority shall have the same powers in making enquiries under this Act, as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908), in trying a suit, in respect of :

- (a) admission of evidence by affidavits;
- (b) to issue summons for ensuring the attendance of any person and examining him on oath;
- (c) compelling the production of documents;
- (d) award of cost;
- (e) to call for any report or order for local enquiry; and
- (f) to issue commission for local enquiry or order examination of witnesses.

6. *State to be a necessary party in certain cases.*- Notwithstanding anything contained in any provision in any law for the time being in force, in all cases of civil nature, concerning a land or a portion thereof, and in which one of the parties to the case is an allottee or settlee under Section-2 of the Act, the State shall be a necessary party.

7. *Summary disposal of proceeding* .- All proceedings under the Act shall be disposed off summarily in accordance with the provisions of the Act and Rules framed under the Act.

8. *Protection of action taken under the Act.*- (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall be maintained against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

(2) No suit or other legal proceeding shall be maintained against the State for any damage caused, or likely to be caused, or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of any provision of the Act or by anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder.

9. *Expeditious Resolution of Disputes.*- (1) The competent authority shall take all possible steps for expeditious resolution of disputes and shall ensure final adjudication within a maximum period of three months from the date of the institution of the case before him.

(2) The competent authority shall not allow adjournment to the parties without sufficient cause.

(3) Failure to dispose off within stipulated period without sufficient cause may call for disciplinary action against him.

10. *Cognizance of cases filed under this Act.*-(1) No other Court except the Courts mentioned in Schedule-2 shall take cognizance of a case filed under this Act.

(2) Any proceeding lying in a court other than the ones mentioned in Schedule-1 of the Act in which the issues raised are the same as the issues in a case under this Act, shall abate.

11. *Reference to Magistrate.*- In course of proceeding before the competent authority if he is satisfied that any of the parties has committed a criminal act or there is likely to be breach of peace, he may refer it to the court of competent Magistrate for proceeding in accordance with provisions contained in the Criminal Procedure Code.

12. *Power of Collector to exercise superintendence, supervision and control over the competent authority.*- (1) The competent authority shall submit periodical report, as prescribed in the rules, every three months to the Collector furnishing informations therein regarding disputes resolved by him.

(2) The Collector may call for a report from a competent authority from time to time relating to final adjudication of cases instituted before him.

(3) It shall be open to the Collector to review the related functioning of the competent authority from time to time and if on review the Collector is satisfied that cases are not being disposed off expeditiously without sufficient cause he shall immediately report the matter to the Government for necessary action.

13. *Procedure for resolution of disputes.*- (1) Any aggrieved person may file an application or complaint before the competent authority within whose jurisdiction the disputed land or structure is situated.

(2) On receipt of the application or complaint, the competent authority shall proceed to issue notice to the parties concerned allowing them a fortnight's time from receipt of the notice to file their response and documentary evidence, if any.

(3) After the response is filed by the opposite party, the competent authority may allow one week's time to the applicant or the complainant to file his rejoinder, documentary evidence, if any, and a list of witnesses, if any, to be examined by him.

(4) After completion of the pleading, the competent authority shall hear the parties and dispose off the case on the basis of pleading of the parties if no further evidence or local enquiry is needed.

(5) If local enquiry is required, the competent authority may himself hold the enquiry or authorise any other public servant or Advocate to conduct the local enquiry and submit the report. The competent authority may also issue commission for local enquiry.

(6) If the competent authority considers it necessary to examine witnesses then he shall afford opportunity to the parties to dispute to produce witnesses in support of the

application or complaint and in rebuttal thereof. The competent authority shall ensure that witnesses are produced by the parties to the dispute without undue delay and shall also ensure that the examination of witnesses is conducted on day to day basis.

(7) The competent authority, on conclusion of the hearing, perusal of report of local inquiry if any, and on examination of witnesses if any, shall finally hear the parties and pass appropriate order in accordance with law.

(8) The competent authority shall follow the above procedure where he takes cognizance of cases on reference made by a prescribed authority or officer.

(9) The competent authority may pass an interim order of injunction in case of threatened, unauthorised and unlawful dispossession or unauthorised and unlawful demolition of structure constructed over the land in dispute.

(10) The competent authority shall dispose off cases by passing a reasoned order.

(11) Detailed dispute resolution procedure shall be prescribed by the Government by making suitable rules.

14. *Appeal before the Commissioner.*—(1) Any party aggrieved by the order passed by the competent authority may file an appeal before the Commissioner within whose jurisdiction the order has been passed, within a period of thirty days from the date of the order.

Provided that the Commissioner may receive and dispose off the appeal beyond the period of thirty days by extending it by another thirty days if he is satisfied that there was sufficient cause for not filing the appeal within thirty days.

(2) On receipt of appeal, the Commissioner shall immediately cause notice to be issued to the contesting parties allowing 15 days time for appearance and submit reply to the appeal, if any.

(3) The Commissioner shall thereafter proceed to hear the appeal and may pass such order allowing, modifying, reversing or affirming the order passed by the competent authority as he may deem fit in accordance with law.

(4) The order passed by the Commissioner shall be final and no further appeal or revision shall lie before any other authority.

15. *Execution of the order passed by the competent authority.*— The competent authority shall execute the order passed by him subject to order, if any, passed in appeal.

Provided that if no appeal is filed within the prescribed period he shall proceed to execute the said order either himself or authorise any other officer or employee to execute the same.

16. *Attachment of standing crop over the disputed land.*— (1) The competent authority may, if he is satisfied, that standing crop over the disputed land is required to be attached in the interest of justice, he may pass appropriate order and attach the standing crop over the disputed land.

(2) The competent authority may order the sale of standing crop during the pendency of a proceeding before him and the sale proceeds shall be kept in Government account until disposal of the case and subsequently, the sale proceeds shall be delivered to the parties in terms of order passed by him, subject to order, if any, passed in appeal.

17. *Power of the Government to make rules.*— (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of the Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers the rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (i) the manner in which summary disposal of proceeding;
- (ii) the manner in which reports and returns are to be submitted by the competent authority;

- (iii) the manner in which applications shall be heard by the competent authority;
- (iv) the manner in which any amount shall be deposited in the Government account;
- (v) the powers of the Commission appointed for local enquiry;
- (vi) the maintenance of records and registers and display of notices;
- (vii) the manner in which application or complaint shall be filed;
- (viii) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

Schedule-1

1. The Bihar Land Reforms Act, 1950
2. The Bihar Tenancy Act, 1885
3. The Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947
4. The Bihar Bhoodan Yagna Act, 1954
5. The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961
6. The Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956

Schedule-2

S. No.	Court of Original Jurisdiction	Court of Appeal
1	2	3
1	Deputy Collector Land Reforms	Commissioner

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 32-571+400-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 भाद्र 1934 (श0)

(सं0 पटना 443) पटना, वृहस्पतिवार, 30 अगस्त 2012

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

30 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-10/2012/लेज: 377—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 27 अगस्त, 2012 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विनोद कुमार सिन्हा,

सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 15, 2012]

बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012**बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।**

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**—(1) यह अधिनियम बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा-15 का संशोधन।**—(1) धारा-15 के शीर्षक "सक्षम प्राधिकार के द्वारा पारित आदेश का क्रियान्वयन" के बाद विद्यमान प्रावधान को उप-धारा-"(1)" के रूप में संख्यांकित किया जायेगा।

(2) धारा-15 के विद्यमान प्रावधान के बाद, निम्नलिखित नयी उप-धाराएँ (2), (3), (4), (5), (6) एवं (7) जोड़ी जाएगी :-

"(2) अधिनियम की अनुसूची-1 में अन्तर्विष्ट किसी अधिनियम के अधीन किसी बन्दोबस्तीधारी या आवंटी अथवा रैयती भूमि के स्वामी के अनधिकृत एवं अवैध बेदखली की दशा में, सक्षम प्राधिकार इस अधिनियम के अधीन पारित अपने आदेश को, अपने क्षेत्राधिकार के अधीन किसी राजस्व पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करके तथा सम्बन्धित थाना के थाना प्रभारी को, पर्याप्त पुलिस बल के साथ पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने हेतु निर्देशित करके, निष्पादित करेगा।

(3) अधिनियम की अनुसूची-1 में अन्तर्विष्ट किसी अधिनियम के अधीन किसी बन्दोबस्तीधारी या आवंटी अथवा रैयती भूमि के स्वामी के बेदखल होने की पर्याप्त संभावना की दशा में सक्षम प्राधिकार एक समुचित आदेश पारित कर सकेगा तथा अपने आदेश को, सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी/कार्यपालक दण्डाधिकारी/सम्बन्धित थाना के थाना प्रभारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के अधीन निरोधात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध करके, अपने आदेश को निष्पादित करेगा।

(4) भूमि के होल्डिंग के बँटवारा के मामले में, सक्षम पदाधिकारी इस अधिनियम के अधीन पारित अपने आदेश को, विहित प्ररूप में नापी एवं सीमांकन की तिथि एवं समय के बारे में, हिस्सेदारों को पूर्व सूचना के अधीन, अमीन द्वारा भूमि की नापी एवं चिन्हित करवाकर एवं सह-हिस्सेदारों की तख्तबन्दी (सह-हिस्सेदारों के विनिर्दिष्ट हिस्सों का प्रभाजन) तैयार करवा कर निष्पादित करेगा। सक्षम प्राधिकार तख्तबन्दी के विरुद्ध सह-हिस्सेदारों से आपत्ति आमंत्रित करेगा एवं आपत्तियों की सुनवाई के उपरान्त तख्तबन्दी को अन्तिम रूप देगा तथा सह-हिस्सेदारों को उनके तख्त (विनिर्दिष्ट हिस्सा) के अनुसार भूमि का दखल देगा। अगर भूमि की नापी या सीमांकन करना अथवा भूमि का दखल देना, बिना बल प्रयोग के सम्भव न हो तो वह अपने क्षेत्राधिकार के अधीन, किसी राजस्व पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति एवं सम्बन्धित थाना प्रभारी को, पर्याप्त पुलिस बल तथा पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करने हेतु, निदेश देगा तथा अपने आदेश को निष्पादित कराएगा।

(5) किसी भूमि के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति के अधिकार की घोषणा के मामले में, सक्षम प्राधिकार, इस अधिनियम के अधीन पारित अपने आदेश को, सम्बन्धित राजस्व पदाधिकारियों को अन्य बातों के साथ-साथ चालू खतियान, अभिधारी-खाता-पंजी सहित सम्बन्धित राजस्व अभिलेखों में तथा अपने आदेश के अनुसार खेसरा-पंजी में उस व्यक्ति के अधिकारों को प्रतिबिम्बित करने के लिए, आवश्यक संशोधन करने हेतु निदेश देकर निष्पादित कराएगा।

(6) सीमा विवाद के मामले में, सक्षम प्राधिकार, इस अधिनियम के अधीन पारित अपने आदेश को, एक ही सीमा में पड़नेवाले सभी भू-धारियों को विहित प्ररूप में, नापी एवं सीमांकन की तिथि एवं समय को इंगित करते हुए सूचना द्वारा, अपने आदेश के अनुरूप अमीन द्वारा सम्बन्धित खेसरा या उसके भाग की सीमाओं की नापी एवं सीमांकन करके निष्पादित करेगा, परन्तु यदि बिना बल प्रयोग के यह सम्भव नहीं हो तो वह अपने क्षेत्राधिकार के अधीन एक राजस्व पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करेगा एवं सम्बन्धित थाना प्रभारी को, पर्याप्त बल के साथ पुलिस पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने हेतु, निदेश देगा तथा अपने आदेश को निष्पादित कराएगा।

(7) (क) अनधिकृत संरचना के मामले में, सक्षम प्राधिकार, उस अनधिकृत संरचना के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को, विहित प्ररूप में नोटिस के माध्यम से उस संरचना को, आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर हटाने के लिए निदेशित करते हुए अपने आदेश को निष्पादित करेगा।

(ख) अगर कोई व्यक्ति, जिसके विरुद्ध खण्ड (क) में नोटिस निर्गत किया गया हो, नोटिस की 30 दिनों की अवधि के समाप्त होने के बाद, संरचना को हटाने में व्यतिक्रम करता है तो सक्षम प्राधिकार नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर उस संरचना को हटाने, जिसमें असफल होने पर संरचना परिबद्ध की जायेगी या उसके खर्च पर संरचना हटा दिए जाने हेतु निर्देशित करते हुए विहित प्ररूप में द्वितीय नोटिस निर्गत करेगा।

(ग) खण्ड (ख) के अधीन की नोटिस से 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के उपरान्त, संरचना नहीं हटाए जाने के दशा में, सक्षम प्राधिकार जैसा उचित समझे, संरचना को परिबद्ध करेगा अथवा हटा देगा, परन्तु हटाए जाने के मामले में, हटाने का खर्च उस व्यक्ति से वसूल किया जायेगा जिसके विरुद्ध बिहार एवं उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914 के प्रावधानों के अधीन नोटिस निर्गत किया गया हो।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

30 अगस्त 2012

सं0 एल0जी0-1-10/2012/378/लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 27 अगस्त, 2012 को अनुमत बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2012 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 15, 2012]

The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Act, 2012

AN
ACT

TO AMEND THE BIHAR LAND DISPUTES RESOLUTION ACT, 2009

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty third year of Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Act, 2012.

- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force at once.

2. Amendment of Section-15 of The Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009.—(1) After the title of Section-15 "Execution of the order passed by the competent authority" the existing provision shall be numbered as sub-section "(1)".

(2) After the existing provision of Section-15, the following new Sub-Sections (2), (3), (4), (5), (6) and (7) shall be added:-

"(2) In case of unauthorized and unlawful dispossession of any settlee/allottee under any Act contained in the schedule-1 of the Act or of any owner of raiyati land, the Competent Authority shall execute his order passed under this Act by deputing a Revenue Officer under his jurisdiction and directing the Officer-In-charge of the concerned police station to depute a police officer with adequate police force.

(3) In case there is sufficient apprehension that the settlee/allottee of any land under any Act contained in schedule-1 of the Act or owner of any raiyati land may be dispossessed of his land, the Competent Authority may pass an appropriate order and shall execute his order by requesting the concerned Sub-Divisional Magistrate/Executive Magistrate/Officer-In-Charge of the concerned police station to take preventive actions under the relevant sections of Criminal Procedure Code.

(4) In case of partition of land holding, the Competent Authority shall execute his order passed under this Act by getting the land measured and demarcated by Amin as per his order under prior intimation in prescribed form about the date and time of measurement and demarcation to co-sharers and by getting the Takhtabandi (apportionment of the specific shares of the co-sharers) of the co-sharers prepared. The Competent Authority shall invite objections from co-sharers against the Takhtabandi and upon hearing of the objections shall finalise the Takhtabandi and shall deliver possession of land to co-sharers in accordance with their Takhta (specific share). In case, it is not possible to measure or demarcate the land or to deliver the possession without the use of force then he shall depute a Revenue Officer under his jurisdiction and direct the Officer-In-charge of the concerned police station to depute a police officer with adequate police force and get his order executed.

(5) In case of declaration of right of a person with respect to any land, the Competent Authority shall execute his order passed under this Act by directing the revenue authorities concerned to make necessary amendment in revenue records concerned including inter alia the continuous record of rights, tenants ledger register and khesra register reflecting the right of the person as per his order.

(6) In case of boundary dispute, the Competent Authority may execute his order passed under this Act, by getting the boundaries of the concerned plot or a part thereof measured and demarcated by Amin, as per his order, with prior intimation in prescribed form to all land holders having common boundaries, by way of notice indicating date and time of measurement and demarcation, but in case it is not possible without the use of force then he shall depute a Revenue Officer under his jurisdiction and direct the Officer-In-charge of the concerned police station to depute a police officer with adequate police force and get his order executed.

(7) (a) In case of unauthorized structure, the Competent Authority shall execute his order passed under this Act by directing the person responsible for such unauthorized structure through a notice in prescribed form to remove such structure within 30 days of the receipt of the order.

(b) In case the person against whom a notice is made under Clause-(a) fails to remove the structure after the lapse of the 30 days period of notice, the Competent Authority shall issue a second notice in prescribed form directing him to remove such a structure within 15 days of the receipt of the notice

failing which the structure shall be impounded or the structure shall be removed at his cost.

- (c) In case the structure is not removed after the lapse of 15 days period of the notice under the Clause-(b), the Competent Authority shall impound the structure or remove it as he deems fit but in case of removal, the cost of the removal shall be realized from the person against whom the notice has been issued under the provisions of the Bihar and Orissa Public Demands Recovery Act, 1914."

By order of the Governor of Bihar,
VINOD KUMAR SINHA,
Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 443-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1935 (श0)
(सं0 पटना 651) पटना, मंगलवार, 13 अगस्त 2013

विधि विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त 2013

सं० एल0जी0-1-21/2013/लेज:138—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 11 अगस्त 2013 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013

[बिहार अधिनियम 10, 2013]

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 की धारा-14 में संशोधन।—(1) उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-14 की उप-धारा (1) का वर्तमान परन्तुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“परन्तु आयुक्त अपील दाखिल करने में 30 (तीस) दिनों की कालावधि से अधिक विलम्ब को माफ कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाय कि विहित कालावधि के भीतर अपील नहीं दाखिल करने का पर्याप्त कारण था: ”

(2) उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-14 की उप-धारा (1) के परन्तुक के बाद निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा:-

“परन्तु और कि कोई व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकार के न्यायालय में मामले का पक्षकार नहीं था तथा सक्षम प्राधिकार द्वारा पारित आदेश से प्रतिकूलतः प्रभावित हुआ हो, अपीलीय प्राधिकार की इजाजत प्राप्त करके, अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकार, अपने न्यायालय में सीधे अपील दायर करने के लिए पूर्वोक्त इजाजत देने हेतु अपने समक्ष दायर अर्जी का निपटारा, ऐसी अर्जी दायर किए जाने के 21 (इक्कीस) कार्य-दिवसों के भीतर, करेगा।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

13 अगस्त 2013

सं0 एल0जी0-1-21/2013/139/लेज:।- बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2013 को अनुमत बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2013 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्ज्वल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Act, 2013**[Bihar Act 10, 2013]****AN****ACT****To Amend the Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009**

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty fourth year of the Republic of India as follows:-

1. Short Title, Extent and Commencement.- (1) This Act may be called The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Amendment in sub section (1) of section-14 of the Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009.- (1) The present proviso to sub section (1) of section 14 of the said Act, 2009 shall be substituted by the following:-

" Provided that the Commissioner may condone the delay in filing the appeal beyond the period of 30 (thirty) days if he is satisfied that there was sufficient cause for not filing the appeal within the prescribed period:"

(2) The following new proviso shall be added after the proviso to sub section (1) of section - 14 of the said Act, 2009:-

" Provided further that a person, who was not a party to a case in the court of Competent Authority and is adversely affected by an order passed by the Competent Authority, may file an appeal before the Appellate Authority, after obtaining leave from the Appellate Authority. The Appellate Authority shall dispose of the petition filed before him, for granting the aforesaid leave to file an appeal directly, within 21 (twenty one) working days of filing of such petition. "

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उज्जवल कुमार दूबे,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 651-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

6 भाद्र 1937 (श0)

(सं0 पटना 982) पटना, शुक्रवार, 28 अगस्त 2015

विधि विभाग

अधिसूचनाएं
28 अगस्त 2015

सं० एल०जी०-1-11/2015/लेज: 132—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 22 अगस्त 2015 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015

[बिहार अधिनियम 18, 2015]

बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 (बिहार अधिनियम 4, 2010) का संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।**—(1) यह अधिनियम “बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015” कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम 4, 2010 की धारा-2 का संशोधन।**—(1) उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-2 की उप-धारा (ड) में प्रयुक्त शब्द “अधिनियम की अनुसूची-1 में से वर्णित अधिनियमों के तहत” के बाद और शब्द “रैयती अधिकार समाहित हो गए हो” के पूर्व निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जायेगे:-

“या किसी विनिर्दिष्ट कोटि के व्यक्तियों को सरकारी भूमि की बंदोबस्ती उपलब्ध कराने के लिए राज्य या केन्द्र सरकार के किसी अधिनियम या नीति के अधीन”

(2) उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-2 की उप-धारा (च) में प्रयुक्त शब्द “अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल किसी अधिनियम में, “के बाद एवं शब्द “भूमि पर रैयती अधिकार प्राप्त कर लिया है” के पूर्व निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जायेगे:-

“या किसी विनिर्दिष्ट कोटि के व्यक्तियों को सरकारी भूमि की बंदोबस्ती उपलब्ध कराने के लिए राज्य या केन्द्र सरकार के किसी अधिनियम या नीति के अधीन”

3. बिहार अधिनियम 4, 2010 की धारा-4 का संशोधन।—धारा-4 की उप-धारा (1) (क) में प्रयुक्त शब्द “इस अधिनियम की अनुसूची-1 में शामिल किसी अधिनियम के तहत” के बाद एवं शब्द “किसी के साथ सक्षम प्राधिकार द्वारा” के पहले निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे :-

“या किसी विनिर्दिष्ट कोटि के व्यक्तियों को सरकारी भूमि की बंदोबस्ती उपलब्ध कराने के लिए राज्य या केन्द्र सरकार के किसी अधिनियम या नीति के अधीन”

4. **बिहार अधिनियम 4, 2010 में नई धारा का जोड़ा जाना।**—उक्त अधिनियम, 2009 की धारा-15 के बाद निम्नलिखित नई धारा 15 क जोड़ी जाएगी:-

“15 क (1) अंतिम आदेश के कार्यान्वयन में बाधा या जान-बूझकर उसकी अवज्ञा या अननुपालन के लिए दंड।—जो कोई भी इस अधिनियम के अधीन पारित अंतिम आदेश में निहित दिशा-निर्देशों और निष्कर्षों के कार्यान्वयन में बाधा डालता है या जान-बूझकर उसकी अवज्ञा या अननुपालन करता है, उस अवधि के लिए, जिसका तीन वर्ष तक के लिए विस्तार किया जा सकेगा, कारावास से दंडनीय होगा और पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा।

(2) इस धारा के अधीन किसी अपराध में पहले से सिद्ध दोष ठहराए गए ऐसे व्यक्ति की दशा में, उस अवधि तक के लिए जिसका पाँच वर्ष तक के लिए विस्तार किया जा सकेगा, कारावास दंडनीय होगा और दस हजार रुपये तक के जुर्माने का भी दायी होगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पूर्वोक्त अपराध संज्ञेय और उक्त संहिता के अर्थ के अंतर्गत गैर जमानती अपराध समझा जाएगा।

(4) पूर्वोक्त अपराध की घटना उक्त संहिता में अंतर्विष्ट उपबंध के अनुसार, सक्षम प्राधिकार द्वारा या सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से पीड़ित द्वारा रिपोर्ट की जाएगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

28 अगस्त 2015

सं० एल०जी०-1-11/2015/लेज: 133—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित महामहिम राज्यपाल द्वारा 22 अगस्त 2015 को अनुमत बिहार भूमि विवाद निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

The Bihar Land disputes Resolution (Amendment) Act, 2015

[Bihar Act 18,2015]

AN

ACT

to amend the Bihar Land Disputes Resolution Act, 2009 (Bihar Act 4, 2010)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty sixth year of the Republic of India as follows:-

- 1. Short title extent and commencement**—(1) This Act may be called The Bihar Land Disputes Resolution (Amendment) Act 2015
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force at once.

- 2. Amendment of Section 2 of the Bihar Act 4, 2010.**—(1)The following words shall be inserted before the words "under the Acts mentioned under schedule-1 of the Act." and after the words "raiya rights have accrued" used in sub-section (e) of section 2 of the said Act:-

“Or under any Act or policy of the State or Central Government providing for settlement of government land to the persons of any specified category.”

- (2) The following words shall be inserted before the words "under the Acts mentioned under schedule-1 of the Act." and after the words "raiya rights have accrued" used in sub-section (f) of section 2 of the said Act. :-

“Or under any act or policy of the State or Central Government providing for settlement of government land to the persons of any specified category.”

- 3. Amendment of Section 4 of The Bihar Act 4, 2010.**—The following words shall be inserted before the words "under any of the Acts contained in schedule-1 to this Act" and after the words "with any by the competent authority" used in sub-section (1) (a) of section 4 of the said Act, 2009 :-

“Or under any Act or policy of the State or Central government providing for settlement of Government land to the persons of any specified category.”

- 4. Addition of Section 15A in the Bihar Act 4, 2010.**—The following new section 15A shall be added after Section 15 of the said Act, 2009:-

“15 A (1). *Punishment for obstruction in execution or willful disobedience or noncompliance of the final order.* – Whoever obstructs, disobeys or fails to comply with the directions and findings contained in the final order passed under the Act shall be punishable

with imprisonment for a term which may extend up to three years, and shall also be liable to fine up to five thousand rupees.

(2) In case of such person having been previously convicted of an offence under this section, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, and with fine which may extend to ten thousand rupees.

(3) Notwithstanding anything contained in the code of Criminal Procedure 1973, the aforesaid offence shall be deemed to be a cognizable and non-bailable offence within the meaning of the said Code.

(4) The incidence of the aforesaid offence shall be reported in accordance with the provision contained in the said Code by the competent authority or by the victim with the approval of the competent authority.’’

By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 982-571+400-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>